

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांक:—निसंशि/सामा0प्रशा0/2015/15700

दिनांक 17/12/2015

संशोधित आदेश

संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति का ड्राफ्ट बनाया गया है। उक्त स्थानान्तरण नीति पर शिक्षाविदों एवं शिक्षक संगठनों से सुझाव/प्रस्ताव दिनांक 31.12.2015 तक आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त सुझाव/प्रस्तावों को विभागीय ई-मेल director.sanskrit@gmail.com एवं व्यक्तिशः से निदेशालय में उपस्थित होकर दिनांक 31.12.2015 तक प्रेषित कर सकते हैं, ताकि प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों को स्थानान्तरण नीति में समावेश करने के लिये विचार किया जा सके।

संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि—

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक पं.1(57) शिक्षा-6/2015 स्थानान्तरण नीति का ड्राफ्ट दिनांक 16.12.2015 के संबंध में।
2. वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. नोटिस बोर्ड

संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर